कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड़, अजमेर दूरभाष संख्या– 0145–2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ18(52)एफसीए / उवसं / 2024–25 / 2215 दिनांक :– 04/03/25

निमित्त,

सहायक अभियंता,
नगर परिषद, किशनगढ़,
जिला अजमेर।

विषयः– Diversion of 0.1025 Hectare Forest Land for proposed sewerage project Kishangarh under amrit yojana, District Ajmer, Rajasthan Forest diversion proposed under Forest (Conservation) Act 1980. Proposal no. FP/RJ/PIPELINE/42970/2019

संदर्भः– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 5930 दिनांक 20.07.2023, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर के पत्रांक 3696 दिनांक 16.12.2021 एवं राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(93)वन / 2021 जयपुर दिनांक 14.12.2021 एवं इस कार्यालय के नवीन पत्रांक 9039 दिनांक 05.10.2023, पत्रांक 5930 दिनांक 20.07.2023, पत्रांक 635 दिनांक 02.02.2022, पत्रांक 9745 दिनांक 20.10.2022, पत्रांक 11630 दिनांक 16.12.22, पत्रांक 2258 दिनांक 13.03.2024 एवं आपके पत्राक 396 दिनांक 27.02.2025(कार्यालय को प्राप्त दिनांक 04.03.2025) के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सन्दर्भित पत्रो से विषयान्तर्गत प्रकरण मे उच्च कार्यालय द्वारा राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(93)वन / 2021 जयपुर दिनांक 14.12.2021 से प्रकरण मे जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम मे इस कार्यालय के पत्रांक 635 दिनांक 02.02.2022, पत्रांक **9745 दिनांक 20.10.2022 से आपको डिमांड नोट** जारी कर पालना हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। **आपके द्वारा लगभग दो वर्ष का समय व्यत्ति होने के उपरान्त भी डिमांड राशि एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना नही की जा रही है।** प्रकरण जन हित का होने के कारण पालना के अभाव मे होने वाले विलम्ब के लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे। अतः उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अलग–अलग चार प्रतियों में मय सैद्वान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रो (हिन्दी एवं अंग्रेजी) मे प्रकाशित करा समाचार पत्रो की प्रति भिजवावें एवं मांग पत्र अनुसार राशि अविलम्ब जमा करावें ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस क्रम में आपके द्वारा संदर्भित पत्रांक 396 दिनांक 27.02.2025(कार्यालय को प्राप्त दिनांक 04.03.2025) से डिमाड़ राशि 378250 रूपये जमा कराने एवं अखबार में प्रकाशित कराने के संबंध में अवगत कराया गया है परन्तु सैद्वान्तिक स्वीकृति की कोई पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है। वर्तमान में श्रमिक दर 285 /– प्रति दिवस होने से शर्त बिन्दु संख्या 11 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो के पातन होने पर 100 वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु वर्तमान दरो को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online submission & Monitoring of Forest & Wildlife clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करानी है। इस क्रम में अंतर राशि 28116 /– जमा करावे। हुए सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना चार प्रति में बिन्दुवार भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार अंतर राशि प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई चालान की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) एवं सभी बिन्दुओ की पालना मय अण्डरटेकिग प्रेषित की जाये। साथ ही प्रकरण मे जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रो (हिन्दी एवं अंग्रेजी) मे प्रकाशित करा समाचार पत्रो की प्रति भी पालना के साथ चार प्रति मे प्रस्तुत करे। तदुपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

(वीरेन्द्र सिंह जोरा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :–सम / दिनांकः–

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि संदर्भित पत्रांक से श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, अजमेर द्वारा प्रकरण की रिपोर्ट चाही गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उच्च कार्यालय के द्वारा लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति नही किये जाने से प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी नही हो पाई है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा बिना विधिवत स्वीकृति के कोई गैर वानिकी कार्य नही किया जावे यह सुनिश्चित करे। यदि प्रयोक्ता अभिकरण किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य बिना विधिवत स्वीकृति के करता है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे।

उप वन संरक्षक
अजमेर